भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4467

28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का विकास"

4467. श्री दयानिधि मारन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों और नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को आवंटित निधि का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने हेतु तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अवसंरचना के उन्नयत का समर्थन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को प्रापत करने और/या राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने हेतु क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत परिवर्तनों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कोई परामर्श या समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तीन स्कीमें शुरु की हैं। विवरण निम्नानुसार है:

i. जैव ईंधन पर निर्भरता घटाने और वाहन उत्सर्जन की समस्या के समाधान के प्रयोजन से परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम,चरण-।। (फेम इंडिया,चरण-।।) को 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया है जिसका बजटीय परिव्यय 10,000 करोड़ रूपये है। फेम-।। के अंतर्गत 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों (स्ट्रांग हाइब्रिड सहित) और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए सहायता प्रदान की जानी है। फेम इंडिया स्कीम,चरण-।। संबंधी अधिक ब्यौरा हमारी वेबसाइट https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=1378 पर उपलब्ध है।

ii. ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (जिसका बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रूपए है) के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन और उनके संघटकों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके संघटकों की पात्र बिक्री पर 18 प्रतिशत तक का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। स्कीम का अधिक ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2482 पर है।

iii. उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमः सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में 50 गीगावाट घंटे के लिए गीगा स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इन एसीसी का उपयोग बैटरियों में किया जाएगा जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है। अधिक ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487 पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) : भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***